झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
द्वितीय (बजट) सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, सोमवार, दिनांक– 03 चैत्र 1942 (श0) / 23 मार्च, 2020 (ई0) को

झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
उत्तर मुद्रित					
"क"–76	अ0सू0–36	श्री दीपक बिरूवा,	नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कराना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05.03.2020
123	अ0सू0–20	श्री लम्बोदर महतो,	राजस्व प्राप्ति हेतु कार्रवाई	योजना सह वित्त,	29.02.2020
124	अ0सू0–21	श्री लम्बोदर महतो,	संयुक्त सिविल सेवा की नियमित परीक्षा लेना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	29.02.2020
125	अ0सू0–28	श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह,	सड़क दुर्घटना को प्राकृतिक आपदा घोषित करना।	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	03.03.2020
126	अ0सू0–49	श्री सरयू राय,	दोषी पर कार्रवाई।	योजना–सह–वित्त	17.03.2020
127	अ0सू0–34	श्री सरयू राय,	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के लंबित शिकायत वाद की समीक्षा	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी	05.03.2020
128	अ0सू0–48	श्री कमलेश कुमार सिंह,	पुलिस शिविर खोलना	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	17.03.2020
129	अ0सू0–24	श्री सुदेश कुमार महतो,	निजी/सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रों में नियमानुसार आरक्षण प्रदान करना।	कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	01.03.2020

1.	2.	3.	4.	5.	6.
130	अ0सू0–47	श्री सोना राम सिन्कू,	पारित न्याय निर्णय के आलोक में आरक्षण से वंचित रखना।	कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	13.03.2020
131	अ0सू0–45	श्री बन्धु तिर्की,	गुमशुदा लोगों को खोजना।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन।	07.03.2020
132	अ0सू0–30	श्री प्रदीप यादव,	एस0 आई0 टी0 से जाँच कराना।	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी	05.03.2020
133	अ0सू0–50	श्री कमलेश कुमार सिंह,	उपकोषागार स्थापित करना।	योजना–सह–वित्त	17.03.2020
134	अ0सू0–35	श्री दशरथ गागराई,	हत्या के दोषियों पर कार्रवाई।	गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन।	05.03.2020

नोट :– "क"–76 अ0सू0–36, दिनांक–16.03.2020 को सदन द्वारा स्थगित।

राँची।
दिनांक–23 मार्च,2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–02/2020–1244/वि0स0,रांची,दिनांक–19/3/20

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता, प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान–सभा/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

19/03/2020
(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–02/2020–1244/वि0स0,रांची,दिनांक–19/3/20

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

19/03/2020
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0 प्रश्न–02/2020–1244/वि0स0,रांची,दिनांक–19/3/20

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

19/03/2020
उप सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

राय/

19.03.20

उत्तर मुद्रित

'क' 76. श्री दीपक बिरूवा--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में विभिन्न विभागों में कुल 4,73,112 स्वीकृत पद हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्तमान समय में इसके मुकाबले सिर्फ 1,92,035 कर्मचारी ही कार्यरत हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खाली पड़े स्वीकृत नियमित पदों पर नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) विभिन्न विभागान्तर्गत स्वीकृत पद के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है । चार विभागों के द्वारा स्वीकृत पद की संख्या-5632 एवं कार्यरत पद 1575 प्रतिवेदित किया गया है ।

(2) यथा खण्ड-1 में वर्णित ।

(3) विभिन्न विभागों के अन्तर्गत रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई संबंधित विभाग द्वारा अधियाचना उपलब्ध कराए जाने के उपरांत झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के उपरांत आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर की जाती है ।

डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–20 का उत्तर।

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2019–20 के लिए राज्य सरकार द्वारा 85,429 करोड़ का अनुमानित सकल बजट प्रस्तुत किया गया था, जिसके विरूद्ध जनवरी 2020 तक केन्द्रीय करों में राज्य कि हिस्सेदारी, केन्द्रीय अनुदान तथा राज्य सरकार के माध्यम से मात्र 48 हजार करोड़ रूपया की राजस्व प्राप्ति सरकार को हुई है ?	स्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2019–20 का वार्षिक बजट 85,429 करोड़ रूपये का है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह जनवरी 2020 तक महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के मासिक लेखा (Civil Accounts) के अनुसार राजस्व प्राप्ति रूपये 48,311.21 करोड़ है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार खण्ड (1) में वर्णित शेष राजस्व की वसूली किन कारणों से अवरूद्ध हुई है तथा शेष राजस्व प्राप्ति हेतु सरकार कौन सी कार्रवाई करना चाहती है ?	राजस्व की वसूली में कमी के मुख्य कारण हैं :– भारत सरकार से GST Compensation कम प्राप्त होना, महिलाओं को सम्पति के निबंधन में छूट, कोयला कम्पनियों के उत्पादन में कई कारणों से कमी होना, कोल ब्लॉक का ससमय संचालन नहीं होना, विभिन्न न्यायालयों के लंबित/स्थगन के मामले आदि। राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार समुचित प्रयास कर रही है :– • कोल एवं अन्य खनिजों के रॉयल्टी की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि करने हेतु भारत सरकार से आग्रह किया गया है। • CCL/BCCL/ECL एवं अन्य पर CB Act एवं Common Cause के तहत् लगभग 65,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि वसूलने के लिए सरकार कारगर कदम उठायेगी। • औद्योगिक घरानों के पास जलकर का लगभग 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि

		को वसूलने हेतु सरकार सार्थक कदम उठायेगी। • वर्तमान कर प्रणाली की व्यापक समीक्षा की जायेगी एवं उसमें सुधार कर राजस्व वसूली की बढ़ोतरी की जायेगी। • राजस्व संग्रहण विभागों की Enforcement activity को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त मानव एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जायेगा • कर प्रशासन की कार्य कुशलता को भी बढ़ाकर राजस्व संग्रहण में वृद्धि की जायेगी। • अन्य राज्यों की कर प्रणाली का अध्ययन कर सभी तरह के कर दरों की समीक्षा कर उसे Rationalize किया जायेगा। • सरकार कार्यरत योजनाओं की समीक्षा करेगी एवं जो भी योजनायें अनुपयोगी पायी जायेंगी, उन्हें बन्द करने पर विचार किया जायेगा। • जिसके पास भी सरकारी बकाया है, उसकी प्राप्ति हेतु सरकार सभी नियमसंगत कदम उठायेगी।

झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10 / वि०स०(4)–07 / 2020 / 206 **राँची, दिनांक :** 20/03/2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–518 / वि०स०, दिनांक–29.02.2020 के सन्दर्भ में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/2020
(सत्यनारायण प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी,

अतारांकित 124. डॉ० लम्बोदर महतो--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य गठन के 19 साल हो गये है, लेकिन 19 वर्षों में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा मात्र 05 संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा ही सम्पन्न हो पाया है;

(2) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में प्रशासनिक, वित्त, शिक्षा, पुलिस, योजना एवं अन्य सेवाओं के कुल 500 से अधिक पद रिक्त पड़े है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त सिविल सेवा की परीक्षा नियमित रूप से आयोजित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2016 द्वारा विभिन्न सेवा संवर्गों के कुल 326 रिक्त पदों के विरूद्ध लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का चयन हेतु साक्षात्कार की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

वर्ष 2017, 2018 एवं 2019 के संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन में विलंब के कारण समेकित रूप से संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2017, 2018 एवं 2019 की अधियाचना के आधार पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2020 द्वारा विभिन्न सेवा/संवर्गों के कुल 267 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया ।

आरक्षण के बिन्दु पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुशंसा एवं अभ्यावेदनों में उल्लेखित विसंगतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत झारखण्ड लोक सेवा आयोग के संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2017, 2018 एवं 2019 के विज्ञापन को रद्द करते हुए संबंधित अधियाचनाएँ वापस करने हेतु अनुरोध किया गया, उक्त आलोक में विज्ञापन सख्या-01/2020 को झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा दिनांक 29 फरवरी, 2020 को रद्द करने की कार्रवाई की गयी तथा इस आशय की सूचना JPSC के Website पर UPloaded है ।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में उत्पन्न होनेवाली विसंगतियों के निराकरण के निमित विभागीय अधिसूचना संख्या-1686 दिनांक 03 मार्च, 2020 के माध्यम से विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है ।

(3) उपर्युक्त खण्डो में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

उत्तर सूचित 125. श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह--क्या मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पत्रांक-32/7/2014-NDM-1 दिनांक 08 अप्रैल, 2015 द्वारा 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को रेखांकित करते हुए राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले विशिष्ट स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित को शीघ्र राहत पहुँचाने में होने वाले व्यय पर SDRF हेतु वार्षिक कर्णांकित राशि का 10 प्रतिशत व्यय करने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या-1055 दिनांक 11 सितम्बर, 2015 द्वारा वज्रपात एवं विभागीय संकल्प संख्या-94 दिनांक 20 जनवरी, 2016 के द्वारा अल्पवृष्टि के कारण उत्पन्न पेयजल संकट को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के रूप में सूचिबद्ध किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने ज्ञापांक-1418/आ०प्र० दिनांक 17 अप्रैल, 2015 द्वारा सड़क दुर्घटना को स्थानीय प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार सरकार की तर्ज पर सड़क दुर्घटना को स्थानीय प्राकृतिक आपदा घोषित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन प्रभाग--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) इसकी जानकारी इस विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

(4) सड़क दुर्घटना को स्थानीय प्राकृतिक आपदा घोषित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

श्री सरयु राय, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं०–अ०सू०–49 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 2005 में जमशेदपुर के बिरसानगर, बागुनहातू और बारीडीह मुहल्लों के लिये शुद्ध पेयजल आपूर्ति परियोजना का क्रियान्वयन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शत–प्रतिशत अनुदान पर करने की पेशकश किया था,	शत–प्रतिशत अनुदान पर पायलट प्रोजेक्ट पर योजना का क्रियान्वयन का प्रस्ताव किस ऐजेन्सी द्वारा किया गया, यह प्रश्न में स्पष्ट नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि टाटा स्टील लि० की शत प्रतिशत अनुषंगी इकाई जुस्को ने अपने खर्च पर पेयजल परियोजना का निर्माण करने हेतु अनापत्ति पत्र देने के लिये सरकार से लिखित अनुरोध किया था, जिसे वित्त विभाग ने अस्वीकार कर दिया,	विभाग को इस संबंध में सूचना अप्राप्त है।
3.	क्या यह बात सही है कि इसके कुछ ही दिन बाद इन्हीं मुहल्लों में पेयजल आपूर्ति करने की योजना सरकारी खर्च पर क्रियान्वित करने के लिये मोहरदा परियोजना करीब 30 करोड़ रूपये लागत पर स्वीकृत की गई जो आजतक पूरी नहीं हुई और इस अधूरी परियोजना को पूरा करने का काम जुस्को को ही मनोनयन के आधार पर सौंप दिया गया है, जिसपर वित्त विभाग की सहमति भी है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक–15 दिनांक– 21.07.2005 द्वारा बिरसानगर, बागुनहातू जलापूर्ति योजना की स्वीकृति रू० 2090.00 लाख लागत पर प्रदान की गई है। इसके पश्चात विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1399 दिनांक–31.03.2010 द्वारा पुनरीक्षित लागत रू० 2867.728 लाख पर स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित की जा चुकी है। विभागीय संकल्प संख्या–4189 दिनांक–01.08.2016 द्वारा PPP Mode पर योजना के रख–रखाव हेतु इसे टाटा स्टील लि० की अनुषंगी इकाई जुस्को लि० को मनोनयन के आधार पर सौंपा गया।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि विश्व बैंक के अनुदान पर पूरा होनेवाले इस परियोजना पर कितना व्यय हुआ है, अनापत्ति पत्र नहीं देने के कारण हुये इस अपव्यय के लिये दोषी कौन है और सरकार उसपर कार्रवाई करने का विचार रखती है?	अस्वीकारात्मक है। यह योजना विश्व बैंक के अनुदान पर वित्त पोषित नहीं है। जमशेदपुर अ०क्षे०स० से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सम्पूर्ण पुनरीक्षित राशि रू० 2867.728 लाख व्यय करने संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्राप्त है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–5/विस०/अल्पसूचित/03/2020/न०वि०आ 1190 राँची, दिनांक–21/03/2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–1147 दिनांक–17.03.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/2020

सरकार के अवर सचिव।

D_rk_Rajesh_2020_Vidhan Sabha Question_76

श्री सरयू राय, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 23.03.2020 को पूछे जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–34 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2017 में हुये मोमेंटम झारखण्ड में भ्रष्टाचार और अनियमितता की जाँच के लिये दायर जनहित याचिका संख्या–2750/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि प्रार्थी प्रमाणों के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष वाद याचिका दाखिल करें और जाँचोपरान्त साक्ष्य प्रमाणित होने पर ब्यूरो कार्रवाई करें ;	आंशिक स्वीकारात्मक जनहित याचिका संख्या–2750/2017 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.09.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है :– ".....The petitioner has remedy in the regular criminal court or the petitioner may choose to go before the Anti-Corruption Bureau also."
2	क्या यह बात सही है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त आदेश के आलोक में श्री पंकज कुमार यादव ने ब्यूरो में शिकायत वाद दाखिल किया है जिस पर कोई कार्रवाई नही हुई;	आंशिक स्वीकारात्मक निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए ACB प्राप्त परिवाद पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
3	क्या यह बात सही है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्देशों के आलोक में अन्य कोई शिकायत वाद/प्राथमिकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष दर्ज कर की गई है। इन पर कार्रवाई लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक प्राप्त सभी शिकायत वादों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार बतलाएगी कि इस प्रकार के कितने शिकायत वाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में लंबित है और सरकार इन पर क्या कार्रवाई कर रही है ?	उपरोक्त कंडिका–3 यथोक्त। इसके अतिरिक्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची के आदेश के आलोक में विभिन्न जिलों के थानों में दर्ज कुल 21 (इक्कीस) काण्डों को ब्यूरो में हस्तांतरित किया गया है, जिसपर ब्यूरो में काण्ड दर्ज कर अनुसंधान किया गया है/किया जा रहा है।

झारखंड सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(निगरानी प्रभाग)

ज्ञाप संख्याः 02/नि0वि0/विधान सभा–01/2020...../राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपिः प्रभारी मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), झारखंड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव कोषांग, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप संख्याः 02/नि0वि0/विधान सभा–01/2020..390..../राँची, दिनांक 21/03/2020/

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0प्र0 784 दिनांक 05.03.2020 के प्रसंग में 200 प्रति के साथ सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 21/3/2020

सरकार के अवर सचिव ।

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–48 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद विधान सभा क्षेत्र बिहार राज्य के सीमा पर अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद थाना के पथरा ग्राम जो बिहार राज्य के सीमा पर अवस्थित है, यहाँ बिहार से आकर नक्सलियों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा अपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिससे यहाँ आस–पास के कई गाँव के लोग भय और आंतक के माहौल में जीवन बसर करने को विवश है ;	ग्राम–पथरा जो हुसैनाबाद थाना अंतर्गत आता है, झारखण्ड–बिहार राज्य के सीमा पर अवस्थित है। पथरा ग्राम से लंगरकोट पुलिस पिकेट की दूरी करीब 5–6 कि०मी० है, जिसकी स्थापना वर्ष, 2013 में की गयी है। इसके अलावा ग्राम के करीब 8–10 कि०मी० की परिधि में पिपरा थाना एवं टंडवा (औरंगाबाद, बिहार) थाना स्थित है, जहाँ सी०आर०पी०एफ०, एम०एस०बी० की कंपनी एवं जिला पुलिस बल प्रतिनियुक्त है। इनके द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जाता है, जिसके कारण वर्तमान में अपराध एवं उग्रवाद पर नियंत्रण है तथा स्थिति सामान्य है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रशासनिक एवं जनहित में हुसैनाबाद थाना के पथरा में पुलिस शिविर की स्थापना करने का विचार रखती है, हाँ तो कब–तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद थाना के पथरा ग्राम में पुलिस शिविर की स्थापना संबंधी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–15/2020–1504/ राँची, दिनांक–21/03/2020ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1149, दिनांक–17.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Sandeep 2017\Sa ?\Sandeep Vidhansabha\Chandan D\Questions (Budget) 20.doc P-60

उत्तर मुद्रित 329. श्री सुदेश कुमार महतो--क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में होनेवाली सरकारी नियुक्तियों तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजाति को 26, पिछड़ा वर्ग को 14 और अनुसूचित जाति को 10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष-2002 में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने अनुसूचित जनजाति को 32, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण (कुल 73 फीसदी) देने की अनुशंसा की थी;

(3) क्या यह बात सही है कि आरक्षण में उचित भागीदारी नहीं देना बड़ी आबादी के संवैधानिक अधिकारों का हनन है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में सरकारी/निजी क्षेत्र में होने वाले नियुक्तियों तथा सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जनजाति को 32, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । उल्लेखनीय है कि झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को 10, अनुसूचित जनजाति को 26, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1) को 8, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को 6 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है ।

(2) आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । मंत्रिमंडलीय उपसमिति के द्वारा अनुसूचित जनजाति को 32, अनुसूचित जाति को 12 प्रतिशत, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 18 एवं पिछड़ा वर्ग को 09 प्रतिशत (कुल 71 फीसदी) आरक्षण देने की अनुशंसा की गयी थी ।

(3) अस्वीकारात्मक ।

(4) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है ।

श्री सोनाराम सिंकु, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–47 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड ने LPA N0.-282/2015 में अन्य राज्य के मूल निवासियों को राज्य की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं देने का निर्णय पारित किया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। LPA N0.-282/2015 एवं संलग्न वादो में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुसार "I am of the considered opinion that none of the writ petitioners are entitled to the benefit of reservation as Scheduled castes or Scheduled Tribes or OBC category candidate in the successor State of Jharkhand for the purposes of appointment under the State. However, the service conditions of those persons serving under the erstwhile State of Bihar and allocated to the State of Jharkhand after bifurcation are protected under section 73 of the Act of 2000."
2	क्या बात सही है कि राज्य विभाजन के पश्चात् झारखण्ड में कैडर बाँटवारे के तहत आये राज्य कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, परन्तु बाँटवारे के तहत झारखण्ड मूल के लोगों को बिहार राज्य की सेवा में प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है;	विभागीय परिपत्र सं0–4722, दिनांक–14.08.2008 के आलोक में "वैसे सरकारी कर्मी, जो राज्य गठन के पूर्व आरक्षित श्रेणी में नियुक्त हुए हैं और सम्वर्ग विभाजन के आधार पर झारखण्ड राज्य में पदस्थापित किये गये हैं तथा वे बिहार राज्य के निवासी हैं, उनकी आरक्षण श्रेणी अप्रभावित रहेगी और वे आरक्षित श्रेणी के सरकारी कर्मी माने जायेंगे।" राज्य सेवाओं/सम्वर्गों के पदों पर प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में इस अनुदेश के आलोक में कार्रवाई की जाती है। जहाँ तक बिहार राज्य द्वारा बँटवारे के तहत झारखण्ड मूल के लोगों को बिहार राज्य की सेवा मे प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ देने का प्रश्न है, इस संदर्भ में बिहार सरकार से पत्राचार किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार LPA N0.-282/2015 के तहत् पारित न्याय एवं बिहार में लागू नियम की तरह राज्य की नियुक्तियों एवं प्रोन्नति में अन्य राज्य के मूल से संबंधित आरक्षण का लाभ से वंचित रखने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–21/2020 का0–2112/ रांची, दिनांक 20.03.2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0–प्र0–1027 वि0स0 दिनांक–13.03.2020 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/2020

(सुनीत कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बंधु तिर्की, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–45 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला के सरस्वती कुमारी, ग्राम–बसुआ अम्बाटोली, थाना–गुमला, काण्ड संख्या– 18/16, गणेश उराँव, ग्राम–बसुआ अम्बाटोली, थाना–गुमला, काण्ड संख्या– 18/16, रंजीता केरकेट्टा, ग्राम–पनारी टाँगर टोली, थाना–गुमला, काण्ड सं०–11/19, संजीता कुमारी, ग्राम–खोरा, जामटोली, थाना–गुमला, पुरूशोत्तम कुमार साहू, ग्राम–केसीपारा, थाना–गुमला काण्ड सं०–236/19 को मानव तस्करों द्वारा महानगरों एवं अन्य शहरों में बेच दिया गया है ;	1. अहतु (गुमला) थाना कांड सं०–18/16, दिनांक–25.02.16 धारा–383/365/367/368/370/ 371 भा0द0वि0 एवं 23/26 जे0जे0 एक्ट, वादी बंढा उराँव, पे०–स्व० मंगू उराँव के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध वादी की नाबालिग लड़की सरस्वती कुमारी को बहला–फुसला कर कहीं बाहर ले जा कर बेच देने के आरोप में दर्ज है। 2. अहतु (गुमला) थाना कांड सं०–11/19, दिनांक–21.09.19, धारा–363/365/367/368/370/372 भा0द0वि0 एवं 75/79 जे0जे0 एक्ट तथा 25/26 अंर्तराज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम अंतर्गत वादनी चारी उराँव, पति–पियुस उराँव के लिखित आवेदन के आधार पर अपनी नाबालिग लड़की रंजीता केरकेटटा को दिल्ली ले जाकर बेच देने के आरोप में नामजद 1. शकुन्तला कुमारी, पति–प्रवीण टोप्पो, 2. झिरी राम 3. लक्ष्मण नायक के विरूद्व दर्ज किया गया है। 3. गुमला थाना कांड सं0–236/19 दिनांक–19. 07.19, धारा–363/365 भा0द0वि0 में अपहृत पुरुषोत्तम साहू (उम्र करीब 14 वर्ष) पे० सहदेव कुमार साहू दर्ज है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित गुमशुदा लोगों को ढूँढ कर वापस लाने एवं उनलोगों का पुनर्वास करने तथा मानव तस्कर के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब–तक, नहीं तो क्यों ?	1. अपहृता सरस्वती कुमारी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वर्तमान में कांड अनुसंधान अंतर्गत हैं। प्रयास जारी है। इस मामले में गणेश उराँव, ग्राम–बसुआ अम्बाटोली, थाना–गुमला नाम का कोई व्यक्ति अपहृत नहीं हुआ है। 2. अपहृता रंजीता केरकेटटा की बरामदगी अभी तक नहीं हो पायी है, कांड अनुसंधान अंतर्गत है। प्रयास जारी है। 3. पुरुषोत्तम साहू का मामला गुमशुदगी से संबंधित है, जिसमें मानव तस्करी के बिन्दु पर कोई साक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त कांड अनुसंधान अंतर्गत है। इस मामले में संजीता कुमारी, ग्राम–खोरा, जामटोली, थाना–गुमला नाम की कोई महिला अपहृत नहीं हुई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–11/वि०स०–05/2020–1501/ राँची, दिनांक–21/03/2020ई०।
प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–883, दिनांक–07.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:\Questions (Budget) 20 old.doc P-11

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा चालू/आगामी अधिवेशन में दिनांक 23.03.2020 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या-अ.सू.-50 का उत्तर सामग्री निम्नवत् है :-

अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला मुख्यालय से हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय की दूरी 80 कि.मी. है,	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न विभागों के लगभग 1100 सरकारी कर्मी कार्यरत है, जिनके वेतन की निकासी मेदिनीनगर कोषागार से होता है,	पलामू जिला अंतर्गत सभी तीन अनुमंडलों के विपत्रों की निकासी पलामू कोषागार से होती है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित सरकारी कर्मियों के वेतन की निकासी मेदिनीनगर कोषागार से होने के कारणकाफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है,	अस्वीकारात्मक। कोषागार का कार्य Online हो जाने से कोषागारों के साथ-साथ विभागों का कार्य भी काफी सुलभ हो गया है। विभागों द्वारा अब Online पद्धति का प्रयोग कर विपत्र का निर्माण किया जा रहा है तथा कार्यालय के स्तर से ही कोषागारों को विपत्र e-receipt कर दिया जाता है। कोषागार के स्तर से ही सीधे लाभुक के खाते में e-payment के माध्यम से राशि का भुगतान कर दिया जा रहा है। Online हो जाने से अनावश्यक विलम्ब एवं कठिनाई नहीं होती है।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय में सरकारी कर्मियों के सहुलियत हेतु उप कोषागार स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कोषागार का कार्य Online हो जाने के कारण नए कोषागार की स्थापना पर वर्तमान समय में विचार नहीं किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

ज्ञापांक : 10/वि.स. (4)–17/2020..958/वि०...   राँची/दिनांक 20/03/20

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची के ज्ञाप सं. प्र. 1148/वि०स०, राँची, दिनांक 17.03.2020 के आलोक में उत्तर की 200 प्रतियाँ अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.03.2020

(अविनाश कुमार सिंह)
अपर सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड,
राँची।

श्री दशरथ गागराई, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–23.03.2020 को पूछे जानेवाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या–35 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिद्धू–कान्हू शिक्षा निकेतन, करंजो, पश्चिमी सिंहभूम के कक्षा तीन के छात्र शुभम महतो की हत्या निर्मम तरीके से की गयी थी, जिसकी लाश स्कूल परिसर में ही 05.12.2018 को बरामद की गयी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कराईकेला थाना अन्तर्गत करंजो स्थित सिद्धू–कान्हू शिक्षा निकेतन के कक्षा तीन के छात्र शुभम महतो (उम्र 10 वर्ष) को दिनांक–01.12.2018 के अपराहन में स्कूल छात्रावास से गायब होने एवं दिनांक– 05.12.2018 को सुबह में स्कूल की चाहरदिवारी के पास, गायत्री सरदार के घर के पीछे गली में सोलर प्लेट कूट से ढका शव बरामद हुआ था।
2	क्या यह बात सही है कि इस संबंध में कराईकेला थाना में कांड सं०–20/18, दिनांक–05.12.2018 को दर्ज की गयी, SIT का गठन किया गया परंतु दोषियों को पकड़ा नहीं जा सका ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि बाद में मामले को अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया जहाँ अब तक अनुसंधान प्रारंभ ही नहीं की गयी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अपर पुलिस महानिदेशक, अप० अनु० विभाग, झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–251/सी०बी०शाखा, दिनांक–02.01.19 के आलोक में इस कांड के अनुसंधान प्रभार अप० अनु० विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा ग्रहण किया गया है। इस कांड में पर्यवेक्षी पदाधिकारी द्वारा समर्पित पर्यवेक्षण टिप्पणी में यह कांड धारा–302/201/120(बी०) भा०द०वि० के अंतर्गत अज्ञात के विरूद्ध सत्य पाया गया है। नामजद अभियुक्त–1. विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव आदित्य महतो, 2. अर्जुन शर्मा, 3. अनुपमा महतो एवं 4. आवासीय प्रबंधक गोपीचंद सामन्ड सभी सा०–सिद्धू–कान्हू शिक्षा निकेतन, करंजो, थाना–कराईकेला, जिला–पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अनुसंधानकर्ता को कांड के उद्भेदन हेतु कतिपय बिन्दुओं पर अनुसंधान हेतु निर्देश दिया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस निर्मम हत्याकांड में शामिल दोषियों को गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब–तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–08/वि०स०(04)–08/2020– 1387 / राँची, दिनांक–21/03/2020।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–776, दिनांक–05.03.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।